29/11/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर

उपनिवेश **बनाम** राज्य

...या / वर्ष : TNA·54/2021 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	जरिये आदेश किया जाता मुताबिक [illegible] आदेश [illegible] की [illegible] पत्रावली पर [illegible] के [illegible] पेश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

दिनांकः– 29/11/2021

राजस्व वाद सं0 54/2021

जगदीश बनाम रूडा व अन्य

पत्रावली वास्ते आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश हुई। दिनांक 18.10.2021 को प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 3 व 4) अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की भूमि उल्लेखित्त कर वाद प्रस्तुत किया है। वादी के कथनों के अनुसार ही उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की कृषि भूमियां है एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नही कर सकता है। वादी ने सहखातेदारों व अन्य के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो कानून मेन्टेनेबल व पेश रफत नही है। वाद वादी बॉड बाई लॉ है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने काल्पनिक वाद कारण उल्लेखित कर यह वाद मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन किया कि वादी का वाद बॉर्ड बाई लॉ होने से खारिज फरमाया जावे।

जिसका जवाब अप्रार्थी (वादी) ने दिनांक 10.11.2021 को पेश कर कथन किया कि यह असत्य है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नही कर सकता हो, जो कानून मेन्टेनेबल व पेश रफत नही हो तथा वाद वादी बॉर्ड बाई लॉ है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा प्रतिवादी सं0 5 से [illegible] करत कर वादग्रस्त कृषि भूमियों पर फेक्ट्रियों के रूप में भू–खण्ड काटकर उन्हे अन्य को विक्रय करने व उन पर निर्माण करने की कोशिश किये जाने पर व इस बाबत उनके द्वारा धमकी दिये जाने पर एवं वादी के उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने पर उपरोक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त वाद प्रतिवादीगण उपरोक्त अवैध कृत्यों को रोकने हेतु वादी द्वारा अपने विधिक अधिकारों के संरक्षण में पेश किया गया है, जो कानूनन मेन्टेनेबल है तथा किसी भी विधि के तहत बार्ड नही है। उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92क व 188 के तहत आता है, जो माननीय न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु दिनांक [illegible]21 को वाद कारण [illegible] तत्वों उत्पन्न हुआ। दिनांक 21.09.2021 को प्रतिवादी [illegible] काश्त की भूमि पर को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये व इनके द्वारा वादी [illegible]

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

पत्थर डाल दिये गये व नींव खोदकर निर्माण कार्य करने की कोशिश की व धमकीयां भी दी गई, तब उक्त वाद हेतु वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

दिनांक 17.11.2021 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस का मुख्य बिंदु वाद का Barred by Law की श्रेणी में आना हुआ। अप्रार्थी (वादी) द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

1. **2017 (1) DNJ (Raj.) 330**
   उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां सह हिस्सेदार भूमि की प्रकृति बदल रहे हो वहां एक हिस्सेदार का मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बिना तकासमा मेन्टेनेबल है।

2. **1973 RRD 641 (DB)**
   उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर सहखातेदार अन्य सहखातेदार के संयुक्त खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की जाती है तो वहा बिना तकासमा के मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का मद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय है।

3. **2017 (2) CCC 364 (P&H)**
   उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर सह हिस्सेदार भूमि की प्रकृति बदल रहे हो तो उनके विरूद्ध तकासमें के बिना मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय है।

प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 3 व 4) ने न्यायिक दृष्टान्त Sikandar Hayat & anr.v. Tanveer S. Property Dealer, Kota- (189) पेश किया जिसके अनुसार "Rajasthan Tenancy Act, Sections 188 & 211- Suit filed u/s 188 dismssed by trial court being not maintainable- confrmed

प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त बाबत विर्तक में कहा कि यह न्यायिक दृष्टान्त तब लागू है यदि सहखातेदार कोई अकृषि कार्य कर रहा हो। इस वाद में प्रतिवादी द्वारा कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके के प्रार्थी भूमि का अकृषि उपयोग कर रहा हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि यह भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की पैतृक अविभाजित भूमि है जिसका मनबट के आधार पर विभाजन हो चुका है व उसकि [illegible] काबिज है व [illegible] भी निवेदन किया कि वादी ने भी उसी अनुसार अपना घर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्र. II

ही किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं कर रहा केवल मनबट बंटवारे के आधार पर ही बाउण्ड्री बना रहा है व वादी यह स्टे की आड में उस अपने हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में ही बाधा उत्पन्न कर रहें है।

न्यायालय ने इस बाबत अप्रार्थी (वादी) का स्पष्टीकरण लिया जिसमें उसने यह कबूल किया कि उसने अपने हिस्सें में अपना एक घर बनाया हुआ है, जिसमें वह रहता है। बहस में अप्रार्थी ने यह बिंदु भी उठाया कि क्योंकि यह भूमि का माफी मंदिर रेफरेन्स विचाराधीन है अतः इस भूमि को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना न्यायोचित है।

हमनें उभयपक्षों की बहस कर यह पाया कि एक सभी सहखातेदारों का उनकी अविभाजित भूमि पर प्रत्येक इंच पर बराबर का हिस्सा होता है व इस कारण से किसी भी खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग से बाधित नहीं किया जा सकता। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन कर पाया कि एक सहखातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार को पाबंद करवाना कोई नोर्म न होकर exception है , ऐसा केवल तब किया जाना उचित है जब पूर्णतः सिद्ध हो कि किसी सहखातेदार द्वारा किसी विशिष्ट भू भाग पर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा हो जिससे भूमि का किस्म परिवर्तन हो रहा हो या और सहखातेदारों के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की आशंका हो। इस वाद में वादी ने कोई भी ऐसा तथ्य कोई पट्टा इत्यादि पेश नही किया जो उसके कथन कि "प्रतिवादी कालोनी/फैक्ट्री विकसित करना चाहते है" को सिद्ध करता हो। प्रस्तुत फोटोग्राफस बाउण्ड्री पर निर्माण की है जिससे प्रतिवादी सं0 3 (प्रार्थी) ने कृषि कार्य में अपने हिस्से के बचाव/इम्प्रूवमेन्ट के लिये करना कबूल किया है जो अकृषि कार्य में नहीं आता। दूसरा बिन्दु कि यह विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर रेफरेन्स में विचाराधीन है में यह पाया गया कि इस बाबत सक्षम स्तर से पूर्व में ही यथास्थिति के आदेश पारित हो चुके है जिसका अंकन नोट जमाबंदी में लगा हुआ है अतः इस न्यायालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। दौराने बहस यह पाया कि इस भूमि के तकासमें बाबत प्रतिवादी 3 के पिता भंवरलाल द्वारा पूर्व में तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा वाद दायर है। क्योंकि इस वाद का चाहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 188 का अनुतोष पूर्व के तकासमा वाद में भी चाहा गया है, व प्रतिवादी 4 को छोड कर शेष सभी पक्षकार समान है। क्योंकि समान अनुतोष व लगभग समान पक्षकारों का वाद पूर्व में इस न्यायालय में चल रहा है अतः यह वाद सेक्शन 10 की श्रेणी में भी आता है।

अतः विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम [illegible] हल्का [illegible]डूंगर भू0 अभि0 निरी0 क्षेत्र माचवा खसरा नं0 153/252 रकबा 1.3026 हैक्टे0, खसरा नं0 154

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्र.

रकबा 1.3279 हैक्टे0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.6305 हैक्टे0 का वाद **Barred by Law** (एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अविभाजित भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकता) वाजिब **Cause of Action** के अभाव में व सेक्शन 10 की श्रेणी में आने के कारण यह न्यायालय सेक्शन 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज करता है। आदेशानुसर डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (प्रथम)

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

जगदीश बनाम रूडा

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकद्दमा नम्बर – दावा 54/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्रीमती अरशदीप बराड** व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वाके ग्राम सरनाडूंगर पटवार हल्का सरनाडूंगर** भू0 अभि0 निरी0 क्षेत्र मांचवा खसरा नं0 153/252 रकबा 1.3026 हैक्टे0, खसरा नं0 154 रकबा 1.3279 हैक्टे0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.6305 हैक्टे0 की विवादग्रस्त भूमि का वाद Barred by Law (एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अविभाजित भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकता) वाजिब Cause of Action के अभाव में व सेक्शन 10 की श्रेणी में आने के कारण यह न्यायालय सेक्शन 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज करता है। ~~अतः~~ ~~डिक्री~~ ~~जारी~~ ~~की~~।

निज ....—........ मुबलिग ....—........ बाबत् ....—........

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद वगैरह ....—........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....—........ का अदा करें।

.... की गई।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/1/...

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

दस्तखत ....
अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
ओहदा सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम